<u>भर्ती और प्रशिक्षण</u> (Recruitement & Training)

ग्रुप ''ए'' रेलवे सेवा में भर्ती

(IREM-I Para 101 to 110)

समस्त ग्रुप 'ए' की रेल सेवाओं की भर्ती राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसे भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग, चिकित्सा और सिविल सेवा की राजकीय प्रतियोगी परीक्षा में उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों की होती है। संघ लोक सेवा आयोग विशेष श्रेणी रेलवे प्रशिक्षु हेतु भी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करता है।

निम्न 09 संगठित सेवाओं में प्रोबेशनर्स की भर्ती की जाती है :–

1. भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा IRSE
2. भारतीय रेलवे यॉत्रिक इंजीनियर सेवा IRSME
3. भारतीय रेलवे बिजली इंजीनियर सेवा IRSEE
4. भारतीय रेलवे सिगनल इंजीनियर सेवा IRSSE
5. भारतीय रेलवे भण्डार सेवा IRSS
6. भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS
7. भारतीय रेलवे कर्मिक सेवा IRPS
8. भारतीय रेलवे लेखा सेवा IRAS
9. भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा IRMS

प्रशिक्षण कार्यक्रम :

चिकित्सा सेवा के अतिरिक्त सभी सेवाओं के प्रोबेशनर्स को 02 वर्ष का प्रोबेशनरी प्रशिक्षण ग्रहण करना होता हे जो कि रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा समय–समय पर बनाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमानुसार होता है।

प्रथम दो वर्ष के दौरान लाईन पर व विभिन्न रेल संस्थानों तथा प्रतिष्ठित बाहरी संस्थानों में सेंडविच टाईप का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेलवे में नियुक्ति पश्चात प्रथम उपलब्ध अवसर पर प्रोबेशनर्स के रेलवे स्टॅाफ कॉलेज, बड़ोदरा में 08 सप्ताह के आधारभूत (Foundation) कोर्स हेतु नामित किया जाता है जिसमें उन्हें रेलवे की कार्यप्रणाली के विभिन्न तथ्यों से परिचित कराया जाता है। फाउण्डेशनल कोर्स सभी सेवाओं के प्रोबेशनर्स के लिये समान होता है। फाउण्डेशनल कोर्स पूर्ण करने के पश्चात प्रोबेशनर्स शेड, डिपो, यार्ड, कार्यशाला, मण्डल कार्यालय, मुख्यालय, निर्माण ईकाइयों इत्यादि में फील्ड ट्रेनिंग और अन्य रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों और रेलवे के बाहर प्रतिष्ठित संस्थानों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

पर्याप्त फील्ड ट्रेनिंग के पश्चात चिकित्सा सेवा के अलावा सभी सेवाओं के प्रोबेशनर्स 06 सप्ताह का इण्डक्शन कोर्स करते हैं जो विभिन्न सेवाओं के प्रोबेशनर्स के लिये अलग–अलग होता है। इस कोर्स में उनको अपने विभाग की कार्यप्रणाली, सम्बन्धित विभागों के साथ परस्पर व्यवहार और वित्तीय भूमिका, कार्य प्रणाली इत्यादि से सम्बन्धित विस्तृत ज्ञान दिया जाता है।

IRSE, IRTS, IRPS, IRSS, IRAS के प्रोबेशनर्स 02 वर्ष प्रशिक्षण के दौरान इण्डक्शन कोर्स पूरा करते हैं जबकि IRSME, IRSSE & IRSEE के प्रोबेशनर्स प्रोबेशन के तीसरे वर्ष के दौरान Working Post (चालू पद) पर इण्डक्शन कोर्स पूरा करते हैं।

भारतीय रेल चिकित्सा सेवाओं के प्रशिक्षुओं के लिये प्रशिक्षण की अवधि केवल 03 माह होगी। 03 दिन केन्द्रीय चिकित्सालय में, 45 दिन मण्डल मुख्यालय चिकित्सालय में, 10 दिन हैल्थ यूनिट में, 02 दिन क्षेत्रीय रेलवे के CMD /CMO'S के पास अन्तिम आंकलन हेतु तथा 01 माह रेलवे स्टॅाफ कॉलेज बड़ोदरा में अभिविन्यास (Qrientation) पाठ्यक्रम हेतु। (जब कभी भी आयोजित किया जाये)।

प्रोबेशनरी ट्रेनिंग का पर्यवेक्षण /समन्वय :

निम्नलिखित सेवाओं की दो वर्षीय प्रोबेशनरी ट्रेनिंग का प्रत्येक के सामने दिये अनुसार संस्थान /रेलवे द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से समन्यवन /पर्यवेक्षण किया जायेगा:–

S.No.	Service	Institute /Railway for centrally co-ordination /monitoring of probationary training
1.	IRSE	Indian Railway Institute of Civil Engineering, Pune.
2.	IRTS	Indian Railway Institute of Transportation Management, Lucknow.
3.	IRAS	Natioal Academy of Indian Railways, Vododara.
4.	IRPS	National Academy of Indian Railways, Vododara.
5.	IRSS	National Academy of Indian Railways, Vododara.
6.	IRSME*	Indian Railway Institute of Mechanical Engineering, Eastern Railway, Jamalpur.
7.	IRSSE	Indian Railway Institute of Signal Engineering & Telecommunication, Secundrabad.
8.	IRSEE	Indian Railway Institute of Electrical Engineering, Nasik.

(*इंजीनियरिंग स्नातक जिन्हें की प्रशिक्षु के रूप में तथा विशेष श्रेणी रेलवे शिक्षुओं दोनों के लिये)

प्रोबेशनरी ट्रेनिंग पश्चात पृष्टिकण :

प्रोबेशनर्स का कनिष्ठ वेतनमान में पुष्टिकरण उनके द्वारा संस्थानीय प्रशिक्षण पश्चात् निर्धारित परीक्षाओं तथा विभागीय परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने पर किया जाता है।

विभागीय परीक्षायें :

तीनों विभागीय परीक्षाायें उस केन्द्र द्वारा आयोजित करवाई जायेगी जो प्रोबेशनरी प्रशिक्षण का केन्द्र है।

नोटः— विभागीय परीक्षायें लिखित और मौखिक परख होगी।

संस्थानीय या विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अवसरों की संख्या :

किसी भी प्रोबेशनर को निम्न के अतिरिक्त किसी भी कारण से संस्थानिक या विभागीय परीक्षा में पुनः बैठने की अनुमति नहीं होगीः—

अ. बीमारी या अन्य कोई कारण जो उसके नियंत्रण में न हो तो 03 माह की अवधि में विशेष परीक्षा हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है।

ब. यदि कोई प्रोबेशनर प्रथम प्रयास में संस्थानिक या विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता हे तो उसे उन प्रश्न पत्रों में पुनः बैठने की इजाजत दी जा सकती है जिसमें वह असफल हो गया है लेकिन ऐसी स्थिति में वरिष्ठता निर्धारण हेतु पुनः परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना नहीं की जायेगी (मूल परीक्षा में प्राप्त अंकों की ही गणना की जायेगी)।

यदि प्रोबेशनर उपर्युक्त (ब) में प्रदान दूसरे प्रयास में भी सफल नहीं होता /होती हे तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

प्रोबेशनरी अवधि को बढ़ाना :

रेल मंत्रालय, यदि वह ऐसा उचित मानता हे तो, किसी भी स्थिति में प्रोबेशन की अवधि को अधिकतम एक वर्ष के लिये बढ़ा सकता है। हालांकि, यदि प्रोबेशन अवधि के दौरान उसके विरूद्ध किसी प्रकार की जाँच या फौजदारी अभियोग लम्बित है या उसके विरूद्ध अनुशासनिक प्रक्रिया विचारार्थ या शुरू की गई है, तो प्रोबेशन की अवधि उस अवधि तक बढ़ाई जा सकती है जिसे रेल मंत्रालय मामले की परिस्थितियों को देखते हुये उचित मानता है।

उत्तीर्ण अंकों का न्यूनतम प्रतिशत :

संस्थानिक प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात संस्थानित (आधारभूत पाठ्यक्रम, इण्डक्शन कोर्स, चरण—I और चरण—II इत्यादि) और विभागीय परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न—पत्र तथा संकलित रूप से न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 60% होगें।

समूह ''ब'' के लिये प्रशिक्षण :

समूह ''ख'' अधिकारियों के लिये आरम्भिक प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं है क्योंकि समूह ''ख'' के विभिन्न पद समूह ''ग'' स्टॉफ के उचित चयन पश्चात पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं जिसके लिये विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की जाती है जहाँ लिखित और मौखिक परीक्षा का प्रावधान है। फिर भी उन्हें रेलवे स्टॉफ कॉलेज, वड़ोदरा में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजरना पड़ता है और परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है।

समूह ग समूह घ और कार्यशाला कर्मचारियों हेतु भर्ती और प्रशिक्षण नियमः (Para 102 to 120 IREM-I)

भर्तीः— रेलवे में भर्ती सम्बन्धित श्रेणी के निम्नतम वेतनमान में होगी। बीच के वेतनमानों में जहाँ विशेष प्रावधान हैं और दूसरे मामलों में जब रेल प्रशासन आवश्यक समझता हे तो रेलवे बोर्ड की स्वीकृति से इनमें सीधी भर्ती

कर सकता है। निम्नतम से ऊपर के वेतनमान में भर्ती हेतु योग्यतायें वे होगी जिन्हें रेलवे बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होगा।

परिभाषायें :–

i. ''समूह'' (Group) का आशय श्रेणियों की उस श्रृंखला से होगा जो पदोन्नति का एक सामान्य चेनल (कड़ी) बनायें।

ii. ''श्रेणी'' (Class) में वे सभी नियुक्तियाँ समाहित होगी जो एक शाखा या विभाग में एक जैसे पद पर की जायें।

    उदाहरण : सभी स्टेशन मास्टर एक श्रेणी के हैं। इसी प्रकार सभी सहायक स्टेशन मास्टर एक श्रेणी में है। गार्ड, पायलट भी श्रेणी के अन्य उदाहरण है।

iii. ''वेतनमान'' श्रेणी की उप शाखा है, प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न वेतनमान होते है।

iv. ''बीच के ग्रेड'' (Intermediate grade) से आशय न्यूनतम से ऊपर के किसी भी ग्रेड से है।

v. ''सीधी भर्ती'' से आशय समूह ''ग'' सेवा में किसी भी व्यक्ति की भर्ती से है जो पहले से रेल सेवा में नहीं है या रेल सेवक जिसे नियुक्ति हेतु आवेदन करने की छूट इस शर्त पर हे कि सके पास बाहरी लोगों की तरह भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक योग्यता है।

प्रोबेशन की अवधि :

सभी नियुक्तियाँ 02 वर्षीय प्रोबेशन के आधार पर की जायेगी।

स्वस्थता प्रमाण–पत्र :

किसी भी व्यक्ति को रेलवे में नियुक्ति या प्रशिक्षण पर भेजना, बिना स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये नहीं होगा। नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी के चिकित्सकीय परीक्षण और समय–समय पर रेल सेवक के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अलग–अलग नियम निर्धारित है।

जन्मतिथि :

प्रत्येक व्यक्ति को रेल सेवा में प्रवेश करते समय अपनी जन्मतिथि की घोषणा करनी होगी जो रेल सेवा में प्रवेश करने से पूर्व किसी सार्वजनिक कारण से घोषित की गई तिथि से भिन्न नहीं होगी।

कुछ समुदायों का विशेष प्रतिनिधित्व :

सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा रिक्तियाँ भरते समय कुछ समुदायों के विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग /अल्पसंख्यक हेतु आरक्षण :

सरकार द्वारा विनिश्चय किया गया है कि सीधी भर्ती में पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित 27% आरक्षण में से 4.5% आरक्षण अल्पसंख्यकों को दिया जाये। (RBE 02/12)

राष्ट्रीयता : (Rule 218 IREM-I)

रेल सेवा में नियुक्ति हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

i. भारत का नागरिक हो, या

ii. नेपाल या भूटान का नागरिक हो, या

iii. तिब्बती शरणार्थी जो 01.01.1962 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के लिये आया हो, या

iv. भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगाण्डा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया या जाम्बिया, मलाबी, इथोपिया और वियतनाम से स्थायी रूप से भारत में बसने के लिये आया हो।

एक से अधिक पति या पत्नि :

i. कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके एक से अधिक पत्नियाँ जीवित है या जिसके एक पति या पत्नी जीवित है, विवाह करता /करती है तो ऐसा विवाह अर्थहीन होगा क्योंकि यह विवाह पति /पत्नि के जीवनकाल में किया गया, अतः वह सेवा में नियुक्ति हेतु योग्य नहीं होगा।

ii. कोई भी महिला जो ऐसे पुरूष से विवाह करें जिसकी विवाह के समय एक जीवित पत्नि है, तो वह विवाह अर्थहीन होगा और वह सेवा में नियुक्ति की पात्र नहीं होगी। यदि महाप्रबन्धक संतुष्ठ हो कि ऐसा करने के पीछे विशेष कारण हे, तो वह उक्त नियमों से किसी भी व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकता है।

हिन्दी का ज्ञान :

सभी प्रशिक्षुओं के लिये हिन्दी का आरम्भिक ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे प्रशिक्षु जो ट्रेनिंग स्कूल में 06 माह से अधिक बिताते है उन्हें सभी रेलवे ट्रेनिंग स्कूलों में अपना प्रशिक्षण पूर्ण होने से पूर्व प्रबोध स्तर की हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ऐसे प्रशिक्षु जो हिन्दी के अलावा सभी विषयों में उत्तीर्ण होते है उन्हें रेल सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाना चाहिये। ऐसे स्टॉफ को प्रशिक्षण स्कूल छोड़ने के पश्चात एक वर्ष की अवधि में हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यदि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल हो जाते हैं तो अगले वर्ष में उन्हें दूसरा मौका दिया जायेगा, इस प्रयास में भी असफल होने पर उन्हें रेल सेवा में नहीं रखा जायेगा।

नियुक्ति का तरीका :

भारतीय रेलवे में समूह ''ग'' की सीधी भर्ती देश में विभिन्न स्थानों पर रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार स्थापित रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा की जायेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा भर्ती हेतु रेलों या क्षेत्र का निर्धारण भी रेलवे बोर्ड के आदेशों के अनुरूप किया जाता है।

विज्ञापन :

सभी पदों व सेवाओं में रिक्तियाँ जिनका वेतनमान रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप होता है, उनकी भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड या रेलवे प्रशासन द्वारा की जाती है और खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर की जाती है, उनका विज्ञापन कार्मिक विभाग द्वारा अनुमोदित समाचार पत्रों में किया जायेगा। सभी निम्न ग्रेडों का विज्ञापन रेलवे भर्ती बोर्ड या रेल प्रशासन के निर्देशानुसार, जिन क्षेत्रों में रिक्तियाँ है, वहाँ सामान्यतः पढ़े जाने वाले अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों में किया जायेगा।

रोजगार सूचनायें नजदीकी रोजगार कार्यालयों को भी प्रदर्शन हेतु भेजी जायेगी। ऐसे विज्ञापन में पदों की श्रेणी और रेलवे का मण्डल /ईकाई /क्षेत्र जहाँ रिक्तियाँ है, और पद पर नियुक्ति हेतु अन्य सामान्य शर्तों का भी उल्लेख किया जायेगा। कुछ श्रेणियाँ जैसे आशुलिपिक, टंकक, ड्राफ्टमेन इत्यादि जिनमें बाहरी कार्य, रात में कार्य का असुविधाजनक समय शामिल नहीं है, उनके विज्ञापन में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये कि इस हेतु महिलायें भी समान रूप से पात्र हैं।

नर्सेज की भर्ती को अधिक प्रचारित करने के उद्धेश्य से सम्बन्धित क्षेत्र के नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूलों को भी रोजगार सूचनाओं की प्रतियाँ भेजी जायेगी।

कारीगर श्रेणी के सम्बन्ध में, रोजगार सूचना की एक प्रति रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास निर्देशालय और राज्य तथा जिला सैनिक बोर्ड के भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के उद्धेश्य से भेजी जायेगी। पुनर्वास निदेशालय द्वारा नामित भूतपूर्व सैनिकों पर अन्य अभ्यर्थियों के साथ रेलवे में नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा। (RBE 121/97, 215/98, 07/07)

बुलावा पत्र भेजने का तरीका : चूँकि डाक विभाग ने UPC से डाक भेजने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया हैं, अतः रेलवे बोर्ड द्वारा यह निर्धारित किया गया हे कि अभ्यार्थियों को लिखित परीक्षा सम्बन्धी बुलावा पत्र तथा उनकी पात्रता निरस्ती सम्बन्धी पत्र सामान्य डाक [Business Post (Ordinary)] से भेजे जाये तथा अभ्यार्थियों Second Stage Examiation /Aptitude Test /Skill Test /Typing Test /Interview /Documents Verfication /Information for Employment etc. को रजिस्टर्ड पोस्ट /स्पीड पोस्ट से भेजे जाये। (RBE 06/12)

शुल्क :

1. सभी ग्रुप ''सी'' पदों हेतु परीक्षा शुल्क 100 रूपये (मद संख्या 02 में दर्शाये के अतिरिक्त) (परीक्षा शुल्क डाक प्रभार सहित है)
2. अनु.जाति /अनु.जन जाति /भूतपूर्व सैनिक /विकलांग, महिला, अल्पसंख्यक व आर्थिक पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के अभ्यार्थी परीक्षा शुल्क से मुक्त है।
   - i. अल्पसंख्यक से तात्पर्य मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध व पारसी से है।
   - ii. आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत अभ्यार्थी आयेगें जिनके परिवार की वार्षिक आय पचास हजार से कम है। (RRCB No. : 02/99, 11/02, 05/09, 02/14 Page 126 of RBO 09, RBE 67/99, 175/10)

आयु निर्धारण :

रेल सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यार्थियों की आयु निर्धारण हेतु तिथियाँ निम्नानुसार होगीः–

i. जनवरी से जून के मध्य जारी होने वाले रोजगार नोटिस –01 जुलाई की।

ii. जुलाई से दिसम्बर के मध्य जारी होने वाले रोजगार नोटिस –01 जनवरी अगले वर्ष की। (RBE 224/99)

ऊपरी आयु सीमा में छूट : (Para 115)

1. अनु.जाति /अनु. जन जाति के मामलों में 05 वर्ष
2. सेवारत रेलवे कर्मचारियों द्वारा (प्रशिक्षु श्रेणी सहित) आरम्भिक श्रेणी में सीधी भर्ती हेतु आवेदन करने पर 03 वर्ष तक और बीच की श्रेणियों हेतु 05 वर्ष तक की छूट देय होगी।
3. समूह ''घ'' के कर्मचारी जो समूह ''ग'' अथवा प्रशिक्षु श्रेणी हेतु आवेदन करते हैं उन्हें समूह ''घ'' के रूप में दी गई सेवाओं के बराबर छूट देय होगी जो किसी भी स्थिति में 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ऐसी प्रशिक्षु श्रेणियों हेतु 30 वर्ष की अधिकतम सीमा की शर्त भी रहेगी।
4. समूह ''ग'' और समूह ''घ'' में सीधी भर्ती हेतुः जिन सेवारत कर्मचारियों ने 03 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण कर ली है उन्हें, सामान्य अभ्यर्थियों के मामलें में 40 वर्ष तथा अनु.जाति /अनु. जन जाति के अभ्यर्थियों के मामलें में अधिकतम 45 वर्ष तक ऊपरी आयु में छूट देय होगी। (RBE 05/99)
5. समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों पर सीधी भर्ती हेतु विधवा, तलाकशुदा महिला और ऐसी महिला जो न्यायिक रूप से अपने पति से अलग कर दी गई हो, जिन्होंने दुबारा विवाह नहीं किया हे उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष तक की छूट दी जायेगी। ऐसे मामलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 38 वर्ष और अनु.जाति /अनु.जन जाति के अभ्यर्थियों को 40 वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जायेगी। (RBE 154/01)
6. रेलवे भर्ती बोर्ड के विशेष निर्देशों द्वारा विशेष श्रेणी /श्रेणियों के पदों को दी जाने वाली वर्तमान छूट जारी रहेगी।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग के मामलें में 03 वर्ष की छूट।
8. सब्स्टीट्यूट सहित ग्रुप ''सी'' व ग्रुप ''डी'' की भर्ती में दिनांक 03.02.2015 तक तीन वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट देय होगी। (RBE 57/12)
   इस सम्बन्ध में मामले का पुनरिक्षण करने पश्चात रेलवे बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया हे कि एवजी सहित सभी अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट निम्नानुसार रहेगीः– (RBE 45/15)
   (i)04.02.15 से 03.02.2017=02वर्ष, (ii)04.02.17 से 03.02.2019=01वर्ष, (iii)03.03.19 के पश्चात=कोई नहीं
9. ऐसा अभ्यर्थी जो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में दर्शायी गई तिथि को न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमाओं में है उसे सम्बन्धित रेलवे में चाहे वह वास्तविक कार्यग्रहण तिथि को अधिकतम आयु सीमा पार कर चुका है, नियुक्ति हेतु योग्य माना जायेगा।
10 रेलवे भर्ती बोर्ड के विज्ञापन के सन्दर्भ में आवेदित रेल कर्मियों को अनापति (NOC) प्रमाण–पत्र देने बाबत (RBE 66/13)

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति : (मास्टर सरकुलर–13)

समूह ''ग'' और समूह ''घ'' श्रेणी में सम्बन्धित पदों पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती अनुभाग द्वारा रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर अलग से जारी निर्देशों के अनुरूप की जायेगी।

समूह ''ग'' और समूह ''घ'' में रिक्तियों के 3% की दर से आरक्षण रहेगा, जिसमें सेः–

1% मूक व बधिर हेतु आरक्षित,

1% नेत्रहीन हेतु आरक्षित, तथा

1% शारीरिक रूप से विकलांग हेतु आरक्षित रहेगा।

ऊपरी आयु सीमा में छूट :

सामान्य जाति के उम्मीदवारों हेतु	: 10 वर्ष
अनु.जाति /अनु.जन जाति के उम्मीदवारों हेतु	: 10 + 5 वर्ष
अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों हेतु	: 10 + 3 वर्ष

भुतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति :

समूह ''घ'' में आरक्षित कोटा	: 20%
समूह ''ग'' में आरक्षित कोटा	: 10%

समूह ''ग'' और समूह ''घ'' श्रेणी पर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती अनुभाग द्वारा अन्य अभ्यार्थियों के साथ रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर अलग से जारी निर्देशों के अनुरूप की जायेगी।

ऊपर आयु सीमा में छूट	: रक्षा सेवा अवधि और 03 वर्ष
प्रशिक्षु श्रेणियों हेतु	: 40 वर्ष तक की आयु

भूतपूर्व सैनिकों हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट के लाभ को उस समय बढ़ाया जा सकता है जब वे अनारक्षित पद के विरूद्ध आवेदन करें। (RBE 236/89)

(भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति व आरक्षण नियमों सम्बन्धी निर्देशों का संग्रह जारी हुआ RBE 83/15 के अन्तर्गत)

नोटः–

पूर्ववृति ग्रुप''डी'' की 20% भूतपूर्व सैनिक कोटे की रिक्तियों जोनल रेलवे द्वारा पे बैण्ड–I 5200–20200 में ग्रेड पे 1800 में खुले विज्ञापन द्वारा भरी जायेगी तथा उनकी सैनिक अवधि के आधार पर पैनल निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुये बनाया जायेगाः–

i. इस हेतु PET व लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होगी।
ii. नियुक्ति आवेदनों की स्क्रूटनी के आधार पर होगी।
iii. ऐसे पूर्व सैनिक जो 15 वर्ष की सेवा पश्चात, सेवानिवृत्त हुये हैं तथा जो Army Class-I Certificate या समकक्ष पास है उनके मामलों पर विचार किया जायेगा। [RBE 130/10 & RB L.No.: 2009/E (NG) 11/RR-1/10 dt. 08.02.2011 (NWRPS 23/11)]

एक ही दिन परीक्षा :

रेलवे बोर्ड द्वारा यह निश्चय किया गया हे कि एक पद विशेष हेतु परीक्षा सभी रेलवे भर्ती बोर्ड पर एक साथ एक ही तिथि को आयोजित की जायेगी। सभी रेलवे भर्ती बोर्ड नोडल भर्ती बोर्ड को भरे जाने वाले पदों की संख्या, श्रेणी के आधार पर समुदाय विवरण सहित के सम्बन्ध में सलाह /सूचना देगें। नोडल रेलवे भर्ती बोर्ड भाग लेने वाले सभी भर्ती बोर्ड की और से केन्द्रीयकृत रोजगार सूचना जारी करेगा जिसमें प्रत्येक भाग लेने वाले भर्ती बोर्ड द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का अन्य विवरण सहित स्पष्ट उल्लेख करेगा। सभी भर्ती बोर्ड स्थानीय समाचार पत्रों में सांकेतिक रोजगार सूचना प्रकाशित करेगें। सामूहिक परीक्षा वर्ष में एक बार होगी, नोडल भर्ती बोर्ड द्वारा केन्द्रीयकृत रोजगार सूचना और प्रत्येक भर्ती बोर्ड द्वारा सांकेतिक रोजगार सूचना भाग लेने वाले रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमेन के परामर्श पश्चात जारी की जायेगी। प्रशासन की सुविधा के आधार पर एक से अधिक श्रेणियों की परीक्षा एक साथ आयोजित की जा सकती है। (RRCB 04/09)

स्थानीय भाषाओं में प्रश्न पत्र :

प्रश्न पत्र हिन्दी, उर्दु और अंग्रेजी के अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड के कार्यक्षेत्र में पड़ने वाली भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में भी तैयार किया जायेगा। इस उद्देश्य हेतु वह राज्य जिसके अन्तर्गत भर्ती बोर्ड के सभी मण्डल /ईकाईयाँ स्थित है, उसकी पहली राजभाषा को स्थानीय भाषा माना जायेगा। चूँकि राजकार्य हिन्दी /अंग्रेजी में किया जाता है, अभ्यर्थियों के कार्यसाधक ज्ञान की परख हेतु रेलवे बोर्ड पत्र संख्या E/RRB/2001/25/14 dt. 04.03.2008 में दिये गये विवरणानुसार हिन्दी /अंग्रेजी की परख हेतु कुल अंक भार का 10% दिया जायेगा। (RRCB 04/ 09, RBE 138/14)

रेलवे भर्ती बोर्ड भर्तियों में मौखिक परीक्षा बन्द /खत्म करना :

रेलवे भर्ती बोर्ड भर्तियों में मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) बन्द करने का निश्चय किया गया है। यह आदेश 18.03.1999 से प्रभावी रहेगा। इसके अनुरूप निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

NTPC स्नातक से नीचे और स्नातक श्रेणियों	–	द्वि–स्तरीय परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं)
संरक्षा श्रेणी पद	–	एक लिखित परीक्षा के पश्चात मनौवेज्ञानिक स्टेस्ट (कोई साक्षात्कार नहीं)
हिन्दी सहायक	–	एक लिखित परीक्षा और न्यूनतम 90% अंकों के साथ अनुवाद पात्रता परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं)
विधि सहायक, शिक्षक, टेलीफोन ऑपरेटर, फिजियोथैरेपिस्ट	–	एक लिखित परीक्षा पश्चात साक्षात्कार
शेष श्रेणियाँ	–	एक लिखित परीक्षा (कोई साक्षात्कार नहीं)

जहाँ साक्षात्कार चयन का एक भाग है वहाँ अंकों का नियतन /बटवारा वर्तमान प्रक्रियानुसार होगा अर्थात् 85% अंक लिखित परीक्षा हेतु 15% अंक साक्षात्कार हेतु। मनौवेज्ञानिक परख /कौशल परख /टंकण परख जिस प्रकार लागू हैं, उसी अनुरूप जारी रहेगें। NTPC श्रेणियों हेतु वे सभी अभ्यार्थी जिनके आवेदनों को वैद्य माना जाता है, उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा हेतु बुलावा जायेगा। आरम्भिक परीक्षा की मेरिट के आधार पर रिक्तियों की संख्या से 10 गुना अभ्यार्थियों की अन्तिम परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। (RBE 56/99)

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा किये जाने वाले चयन में जितनी रिक्तियाँ हैं उसके 30% अधिक अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जायेगा। (RRCB 89/08, RBE 138/14)

ओपन मार्केट से ग्रुप ''ग'' पदों पर भर्ती करते समय (इसमें एवजी व पे बेण्ड 1800 में नियुक्ति भी सम्मिलित हैं) और विभिन्न साक्षात्कारों /मौखिक परीक्षा की समितियों में पर्याप्त महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये

तथा दस या अधिक रिक्तियों की नियुक्ति, जिसमें महिला अभ्यार्थी भी सम्मिलित होना सम्भावित हो, हेतु गठित चयन समीति में महिला सदस्य का होना आवश्यक हैं। (RBE 29/12)

खेलकूद कोटे के विरूद्ध भर्ती : (RBE 189 (B) /10, 52/12 & 95/12)

खेलकूद कोटे के अन्तर्गत प्रतिभावान खिलाड़ी व खुले विज्ञापन के माध्यम से समूह ''ग'' व ''घ'' के पदों पर भर्ती की जाती है। निर्धारित कोटे का 60%, जिसमें रेलवे खेलकूद पदोन्नति बोर्ड का हिस्सा भी शामिल है, प्रतिभावान खिलाड़ियों द्वारा तथा शेष 40% को खुले विज्ञापन के माध्यम से भरा जाता है। इस नीति में संशोधन करते हुये रेलवे बोर्ड द्वारा यह निर्धारित किया गया हैं कि वित्त वर्ष 2013–14 अर्थात् 01.04.2013 पश्चात खेलकूद कोटे का 30% (RSPB के हिस्से सहित) प्रतिभावान खिलाड़ी से तथा 70% खुले विज्ञापन से भरा जायेगा तथा वित्त वर्ष 2012–13 से खेलकूद कोटे की 1800/– ग्रेड पे में की जाने वाली नियुक्तियाँ सिर्फ खुले विज्ञापन के माध्यम से होगी। (RBE 52/12)

क्षेत्रीय रेलवे, उत्पादन इकाईयाँ, रेलवे स्पोर्टस् कन्ट्रोल बोर्ड एवं जहाँ कार्यशालाओं के कर्मचारियों की संख्या 4000 व उससे अधिक है, उनका वित्तीय वर्ष 2013–14 से कोटा निम्न हैः–

S. No	Zonal Railway /Producation Unit	Name of Pay Band /Scale	Pay Bands /Scales	Corresponding Grade Pay	Quota Alloted for a Financial Year			Total Quota
			In Rupees		Open Advt.	Talent Scouting		
					ZR /PU Qta.	ZR /PU Qta.	RSPB Qts.	
2.1.1	CR, ER, ECR, ECOR, NR, NCR, NER, NFR, NWR, SR, SCR, SER, SECR, SWR, WR, WCR	PB-2	9300-34800	4200	-	-	1	1
		PB-1	5200-20200	2800	5	1	1	7
		PB-1	5200-20200	2400				
		PB-1	5200-20200	2000	16	4	2	22
		PB-1	5200-20200	1900				
		Total Quota Per Railway			21	5	4	30
					ZR /PU Qta.	ZR /PU Qta.	RSPB Qta.	
2.1.2	CLW, DLW, DMW, ICF, RCF, RWF, RDSO, Metro Rly Kolkata	PB-2	9300-34800	4200	-	-	1	1
		PB-1	5200-20200	2800	2	1	-	3
		PB-1	5200-20200	2400				
		PB-1	5200-20200	2000	8	2	1	11
		PB-1	5200-20200	1900				
		Total Quota Per Unit			10	3	2	15
2.1.3	Headquarter of each Zonal Railway	PB-1	5200-20200	1800	10	-	-	10
2.1.4	Each Division of Zonal Railway	PB-1	5200-20200	1800	5	-	-	5
2.1.5	DLW, ICF, RCF, CLW	PB-1	5200-20200	1800	15	-	-	15
2.1.6	DMW, RWF, Metro Raiway Kolkta	PB-1	5200-20200	1800	5	-	-	5
2.1.7	RDSO	PB-1	5200-20200	1800	3	-	-	3
2.1.8	Workshops (having the staff strength of 4000 or more)	PB-1	5200-20200	1800	3	-	-	3

2.2 CLW, DLW, DMW, ICF, RCF, RWF & Metro Railway Kolkata आर्टीजन कोटि में खिलाड़ियों की नियुक्ति कर सकते हैं तथा उनके द्वारा कुशल कारीगरों के रूप में की गई ऐसी भर्ती कुशल कारीगरों के लिये आरक्षित 25% पदों के विरूद्ध रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एनजी)III /78 /आरसीआई /9 दिनांक 24.02.79 (आरबीई 07/12) के निर्देशानुसार गणना में ली जायेगी।

2.3 उपरोक्तानुसार आबंटित कोटा वित्तीय वर्ष के लिये है और इस वित्तीय वर्ष के गुजरने पर यह समाप्त हो जायेगा।

2.4 खेलकूद कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति के प्रत्येक मामले में सक्षम अधिकारी का अन्तिम अनुमोदन सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक ले लिया जाना चाहिये।

2.5 खेलकूद कोटे के अन्तर्गत भर्ती करने हेतु सक्षम प्राधिकारी वही है जो कि भारतीय रेल स्थापना संहिता भाग–I के सम्बन्धित मदों में दर्शाया गया है।

2.6 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिये जाने की दिनांक से एक महीने में नियुक्ति आदेश जारी हो जाने चाहिये।

2.7 रेलवे बोर्ड पत्र दिनांक 31.12.2010 व 07.01.2011 [189 (B) /10, 08/11, 43/13, 04/14, 11/14, 23/14, 77/14, 04/15] में बताये गये 31 खेलों या वह खेल जिन्हें इस प्रयोजनार्थ रेलवे स्पोर्टस् प्रमोशन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, में ही खेलकूद कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति की जायेगी। (इस सूची में से जूड़ों व कराटे को हटा गया हैं (RBE 42/12) (लेकिन अब इसे पुनः शामिल कर लिया गया है। (RBE 25/15)

2.8 प्रतिभावान खिलाड़ी एवं खुले विज्ञापन द्वारा खिलाड़ियों की भर्ती उस ग्रेड में की जायेगी जहाँ सीधी भर्ती का अंश हो तथा ऐसी नियुक्तियों को सीधी भर्ती कोटे के विरूद्ध गणना में लिया जायेगा।

2.9 अपवादिक मामलों में जहाँ सभी योग्यता पूर्ण करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ी को मध्यवर्ती ग्रेड में भर्ती की जानी हो तो क्षेत्रीय रेलवे /इकाई द्वारा ऐसा प्रस्ताव महाप्रबन्धक की सिफारिश से रेलवे बोर्ड के पूर्व अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।

2.10 रेलवे स्पोर्टस् प्रमोशन बोर्ड का प्रतिभावान खिलाड़ियों का कोटा, रेलवे प्रमोशन बोर्ड द्वारा ही संचालित होगा। यद्यपि क्षेत्रीय रेलवे /उत्पादन इकाईयों की इस कोटे के विरूद्ध नियुक्ति की सिफारिश प्रार्थना, जो कि उस स्पोर्टस् एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा सिफारिश की गई हो, को रेलवे स्पोर्टस् प्रमोशन बोर्ड मेरिट आधार पर अपने पूल के पद रिलीज करने पर विचार करेगा।

रेलवे /इकाईयों द्वारा ऐसी प्रार्थना 15 फरवरी अर्थात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 1 1/2 माह पूर्व सभी दस्तावेज व सूचनाओं के साथ तभी प्रेषित की जायेगी तथा जबकि वे प्रतिभावान खिलाड़ियों एवं खुले विज्ञापन के माध्यम से अपना कोटा पूर्ण कर चुके हों।

2.11 जब कभी भी आवश्यकता हो, रेलवे बोर्ड प्रतिभावान खिलाड़ियों का कोटा एक रेलवे /इकाई से अन्य रेलवे /इकाई और एक ग्रेड पे व पे बैण्ड से अन्य ग्रेड पे और पे बैण्ड में पुनः समायोजित कर सकता है।

2.12 जब कभी भी आवश्यकता हो महाप्रबन्धक प्रतिभावान खिलाड़ियों का कोटा जो कि उस रेलवे द्वारा पे बैण्ड रूपये 5200–20200 +1800 ग्रेड पे के पदो के लिये है, उसे एक मण्डल /कार्यशाला /मुख्यालय से अन्य मण्डल /कार्यशाला /मुख्यालय में पुनः समायोजित कर सकता है। लेकिन अन्य कोटा अर्थात् खुले विज्ञापन का कोटा स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है।

2.14 उपयुक्त खिलाड़ी न मिलने पर अपनी रेलवे में 1900 से 2400 ग्रेड पे खेलकूद के प्रतिभावान खिलाड़ी कोटे को खुले विज्ञापन कोटे में बदलने में क्षेत्रिय महाप्रबन्धक सक्षम होगें। (RBE 52/12)

अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का वर्गीकरणः

भर्ती के प्रयोजन से निम्नलिखित इवेण्ट /अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया हैः–

Category -A	Senior Categories of Olympic Games
Category –B	Junior /Senior Categories of World Cup /World Championships Senior Categories of Asian Games & Common Wealth Games
Category -C	Junior /Senior Categories of Common Wealth & Asian World Championships /Asia Cup Senior Categories of South Asian federation (SAF) Games & USIC (World Railways) Championship.

3. विभिन्न पे बैण्ड एवं ग्रेड पे में खिलाड़ियों की भर्ती हेतु खेलकूद मापदण्ड

3.1 विभिन्न ग्रेड पे, पे बैण्ड में प्रतिभावान एवं खुल विज्ञापन के माध्यम से खेलकूद कोटे के विरूद्ध की जाने वाली भर्ती हेतु खिलाड़ी के लिये खेलकूद सम्बन्धी मानदण्डों का विवरण व अन्य खेलों सम्बन्धी जानकारी RBE 189 (B) /2010 में दी गई है।

अगर कोई खिलाड़ी उच्च ग्रेड पे सम्बन्धी मानदण्ड रखता हैं और वह निम्न ग्रेड पे में नियुक्ति हेतु आवेदन देता है तो उसकी खेलकूद कोटे (प्रतिभावन व खुले विज्ञापन) के विरूद्ध नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है। (RBE 09/12)

4.2 खेलकूद उपलब्धियों हेतु मान्य अवधि :

4.2.1 खेलकूद कोटे के विरूद्ध भरे जाने वाले प्रतिभावान खिलाड़ी पदों हेतु उस खिलाड़ी के पिछले एक वर्ष तथा खुले विज्ञापन के खिलाड़ी हेतु वर्तमान वर्ष तथा / या तुरन्त पिछले दो वित्तीय वर्ष की खेलकूद उपलब्धियों को देखा जायेगा तथा यह भी आवश्यक है कि वर्तमान में वह सक्रिय खिलाड़ी हो। इस प्रयोजनार्थ प्रतिभावन खिलाड़ी के मामले में प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने तथा खुले विज्ञापन के खिलाड़ी के मामले में विज्ञाप्ति होने की तिथि से पिछले एक /दो वित्तीय वर्ष, जैसा भी मामला हो, गणना में लिया जायेगा। (RBE 52/12, 75/12, 36/13, 135/13 & 11/14)

4.2.2 खेल में सक्रियता का निर्णय ट्रायल के दौरान उसकी परफोरमेन्स के आधार पर किया जायेगा।

नोटः– टीम खेलों के मामले में खेलकूद कोटे में नियुक्ति हेतु वही खिलाड़ी योग्य माना जायेगा जो मैदान पर वास्तव में खेला हैं। ऐसा खिलाड़ी जो टीम का हिस्सा तो था लेकिन वास्तव में मैदान पर नहीं खेला वह खेलकूद कोटे में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। (RBE 52/12, 71/12, 75/12 & 10/14)

5 आयु सीमाः

5.2 प्रतिभावान एवं खुले विज्ञापन द्वारा

5.1.1 प्रतिभावान एवं खुले विज्ञापन कोटे द्वारा की जाने वाली भर्ती हेतु आयु सीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष है।

5.1.2 उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु अपवादिक मामलों में, जहाँ भर्ती प्रतिभावान कोटे के अन्तर्गत की जा रही है वहाँ उच्च व निम्न आयु सीमा में छूट केवल रेलवे बोर्ड द्वारा ही दी जा सकती है, लेकिन खुले विज्ञापन के मार्फत् भर्ती के मामले में आयु सम्बन्धी छूट का प्रावधान नहीं है।

5.1.3 जहाँ खिलाड़ियों की भर्ती प्रतिभावान कोटे के अन्तर्गत की जा रही हो तो उसकी आयु का आंकलन ट्रायल कमेटी द्वारा लिये जाने वाले ट्रायल की दिनांक को होगा तथा जहाँ भर्ती विज्ञापन कोटे के अन्तर्गत है तो आयु का आंकलन एक जुलाई, यदि विज्ञप्ति जनवरी से जून में हो तथा अगले वर्ष की एक जनवरी, यदि विज्ञप्ति जुलाई से दिसम्बर के मध्य हो तो।

नोटः– वर्ष 2015–16 व उससे आगे खुले विज्ञापन द्वारा खेलकूद कोटा में ग्रेड पे 1900 /2000 में भर्ती हेतु राष्ट्रीय अन्तरविश्वविद्यालय चेम्पियनशिप प्रतियोगिता में कम से कम तृतीय स्थान प्राप्त पदक विजेता ही विचारणीय क्षेत्र में रहेगें। (RBE 81/15)

6. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः–

6.1 प्रतिभावान कोटे और खुले विज्ञापन के द्वारा जिस पद पर नियुक्ति प्रदान की जानी है, उस पद हेतु जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है वही लागू होगी।

6.2 खुले विज्ञापन कोटे के द्वारा भर्ती किये जाने वाले मामलों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में कोई छूट अनुमेय नहीं है।

6.3 जहाँ भर्ती प्रतिभावान कोटे के अन्तर्गत हो तथा यदि खिलाड़ी की उत्कृष्ट खेलकूद उपलब्धियाँ है, परन्तु यह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता हो तो उन्हें रेलवे बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट इस शर्त के साथ प्रदान की जा सकती है कि वह नियुक्ति की तिथि से चार वर्ष की अवधि में उसे प्राप्त कर लेगें।

6.4 शैक्षणिक योग्यता में छूट के मामलों पर जहाँ विचार किया जाता है वहाँ यह आवश्यक है कि उस खिलाड़ी के पास रेलवे में भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो।

6.5 शैक्षणिक योग्यता में छूट के साथ भर्ती खिलाड़ी जब तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक वह पदोन्नति हेतु हकदार नहीं होगा।

6.6 यदि किसी खिलाड़ी की नियुक्ति उक्त पैरा 6.3 अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट पश्चात की गई है तथा 04 वर्षो में वह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करने में असफल रहता है तो चार वर्ष की अवधि पश्चात उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6.7 विशेष मामले में उत्कृष्ट खिलाड़ी (Outstanding sportsperson) जो कि VIII वीं पास हैं, की 1S पे बैण्ड में नियुक्ति पर विचार किया जा सकता हैं। ऐसे खिलाड़ी को नियमित पे बैण्ड–I रूपये 5200–20200 व ग्रेड पे 1800 नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने या निर्धारित प्रशिक्षण पास करने पर ही देय होगा। यह जोनल रेलवे व उत्पादन इकाईयों द्वारा खिलाड़ियों की नियुक्ति के सभी मामलों में लागू होगा। (RBE 181/10 & 51/11)

इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 02.12.2011 (RBE 162/11) द्वारा स्पष्ट किया गया है किः–

क. रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 21.12.2010 (RBE 181/10) के अनुसार सिर्फ वही खिलाड़ी जिसके पास उत्कृष्ट खेल उपलब्धियाँ हो तथा VIII वीं पास हो उसे ही (–) 1S पे बैण्ड में नियुक्त हेतु विचार किया जा सकता है तथा ऐसा खिलाड़ी जिसके पास ग्रेड पे 1900 /2000 या उपर नियुक्ति हेतु रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 31.12.2010 [RBE 189 (B)/10] की योग्यता हो व अन्य मानदण्ड पूर्ण करता हो उसे ही उत्कृष्ट (Outstanding) माना जायेगा।

ख. ऐसा खिलाड़ी जिसे (–) 1S पे बैण्ड में नियुक्त किया गया हैं उसे ग्रेड पे देय नहीं होगी।

ग. रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 11.07.2001 व 10.07.2009 (RBE 125/09) द्वारा खेलकूद कोटे में नियुक्ति हेतु दसवीं में 50% अंकों की बाध्यता में दी गई छूट जारी रहेगी।

घ. तृतीय श्रेणी की विभिन्न कोटियों में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किया गया हे तथा अब Office Clerk, Accounts Clerk, TC, Commercial Clerk & Trains Clerk (NTPC)

कोटियों में नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12th (+2 stage) with not less than 50% marks in aggregate रहेगी। लेकिन खेलकूद कोटे (प्रतिभावान व खुले विज्ञापन द्वारा) में इन पदों पर नियुक्ति हेतु 50% marks की बाध्यता नहीं होगी। (RBE 145/14 & 17/15)

7. टंकण में प्रवीणता

7.1 लिपिक या वरिष्ठ लिपिक के रूप में खेलकूद कोटा के अन्तर्गत भर्ती किये गये खिलाड़ी को रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E (NG)-II/2004/RR-I/48 dt. 09.02.2005 में दिये गये निर्देशानुसार नियुक्ति की तिथि से चार वर्ष की अवधि में निर्धारित टंकण–लिखित परीक्षा पास करनी होगी। (RBE 25/05)

7.2 यदि कोई खिलाड़ी चार वर्ष की अवधि में टाईप–लिखित परीक्षा पास करने में अयोग्य रहता है तो उसकी नियुक्ति को उस समय तक प्रोविजनल माना जायेगा जब तक वह परीक्षा पास नहीं कर लेता हैं तथा इस दौरान उसे नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि /पदोन्नति जारी नहीं की जायेगी। हालाकि उत्कृष्ट खिलाड़ी के मामले में इस सम्बन्ध में छूट रेलवे बोर्ड द्वारा दी जा सकती हैं। (RBE 143/11)

8. भर्ती की प्रक्रिया

8.1 प्रतिभावान खिलाड़ी

खेलकूद कोटे के अन्तर्गत प्रतिभावान खिलाड़ी के रूप में नियुक्ति ट्रायल के बाद ही होगी सिवायः– जब कोई खिलाड़ी कोटि च्एछ या च्बीछ में दर्शाई गई अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप की व्यक्तिगत स्पर्धा में पिछले छः माह में देश का प्रतिनिधित करें या जब कोई खिलाड़ी पिछले छः माह की अवधि में वरिष्ठ राष्ट्रीय चैम्पियनशिप की व्यक्तिगत स्पर्धा में तीसरे स्थान तक प्राप्त करें। यद्यति टीम स्पर्धा व अन्य मामलों में ट्रायल आवश्यक है। (RBE 89/14, 117/14)

प्रतिभावान एवं खुले विज्ञापन के लिये ट्रायल कमेटीः

8.1.2 प्रतिभावान खिलाड़ियों की भर्ती की ट्रायल हेतु ट्रायल कमेटी का मनोनयन प्रधान कार्यालय स्तर पर सम्बन्धित खेलकूद एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा तथा मण्डल स्तर पर मण्डल रेल प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

8.1.3 ट्रायल कमेटी 4/5 और ऐसे अधिकारियों से मिलकर बनेगी जो कि खेलकूद में अनुभव रखते हो। ट्रायल कमेटी के सदस्य रेलवे से होगें। रेलवे /इकाईयाँ इनके साथ 4/5 सदस्य के रूप में एक बाहरी व्यक्ति, जो कि उस खेल का विशेषज्ञ हो, को सम्मिलित कर सकते हैं। रेलवे के नामित सदस्य निम्नानुसार होगेंः–

- i प्रतिभावान खिलाड़ी हेतु कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान अधिकारी एवं खुले विज्ञापन के माध्यम से भर्ती के मामले में कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान अधिकारी के अलावा,
- ii सम्बन्धित खेल के प्रशिक्षक (राष्ट्रीय/रेलवे/राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान से प्रशिक्षित)
- iii सम्बन्धित खेल का वरिष्ठ राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं
- iv सहायक खेलकूद अधिकारी/खेलकूद अधिकारी (RBE 11/11)
- v वर्गीकृत खेलों में नियुक्ति हेतु सभी योग्य खिलाड़ियों के आवेदन कार्मिक शाखा द्वारा संग्रहित किये जायेगें। [RB L.No.: 2010/E(Sports)4(1)/1/Policy dt. 11.03.2011 (NWR PS 19A/2011)]

8.1.4 प्रतिभावान एवं खुले विज्ञापन हेतु ट्रायल कमेटी में सहायक खेलकूद अधिकारी/खेलकूद अधिकारी, रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित पेनल से होगा।

8.1.5 ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर ट्रायल कमेटी उम्मीदवार के सम्बन्धी सिफारिश अंकों में (अधिकतम 40 अंक) निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर देगीः–

- i खेलकूद में निपूर्णता, शारीरिक स्वास्थ्य व ट्रायल के दौरान प्रशिक्षक का ऑब्जरवेशन 40 अंक
- ii उपयुक्त उम्मीदवार –उक्त में से 25 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले
- iii अनुपयुक्त उम्मीदवार –उक्त में से 25 से कम अंक प्राप्त करने वाले

8.1.6 ट्रायल कमेटी द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद उपलब्धियाँ, शैक्षणिक योग्यता व सामान्य विद्यवता इत्यादि के भी अंक दिये जायेगें। अंकों का बटवारा निम्नानुसार हैः–

ब्यौरा खेलकूद

i	मान्यता प्राप्त खेलकूद अंकलन	50 अंक
ii	खेल में निपूर्णता, शारीरिक स्वास्थ्य व ट्रायल में प्रशिक्षक का ऑब्जरवेशन	40 अंक
iii	शैक्षणिक योग्यता	05 अंक
iv	सामान्य विद्यवता, व्यक्तित्व ट्रायल व शारीरिक गठन	05 अंक
	कुल अंक	100 अंक

टिप्पणी : उम्मीदवार को जिस पद हेतु विचार किया जाना हे उस हेतु जो निम्नतम शैक्षणिक योग्यता रखते हों उनको तीन अंक देय होगें तथा उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को उच्च अंक दिये जायेगें। यह केवल प्रतिभावान खिलाड़ियों के मामलों में ही लागू है।

8.1.7 खुले विज्ञापन व प्रतिभावान खिलाड़ियों की शर्तों के मामले में विभिन्न ग्रेड पे व पे बैण्ड हेतु न्यूनतम अर्हता अंक हेतु मापदण्ड नीचे दिये गये हैः–

S. No.	Name of Pay Band /Scale	Grade Pay	Pay Band	Min.Qualifying Marks	
				Talent Scouting	Open Advertisement
i	PB-2	4200	9300-34800	75 Marks	-
ii	PB-1	2800	5200-20200	70 Marks	70 Marks
iii	PB-1	2400	5200-20200		
iv	PB-I	2000	5200-20200	65 Marks	65 Marks
v	PB-I	1900	5200-20200		
vi	PB-I	1800	5200-20200	60 Marks	60 Marks

नोटः 01.04.2.12 से ग्रेड पे 1800 में खेलकूद कोटे में नियुक्तियाँ सिर्फ विज्ञापन के मार्फत् ही होगी। (RBE 52/12)

8.1.8 ट्रायल कमेटी द्वारा सभी सफल उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जायेगी। उपलब्ध रिक्तियों व मेरिट के आधार पर भर्ती की जायेगी। ऐसे मामलों में जहाँ एक से अधिक खिलाड़ी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो मेरिट के निर्धारण में युवा उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी।

8.1.9 ट्रायल की वैद्यता एक माह तक ही होगी, इसलिये यदि कोई उम्मीदवार ट्रायल में उपयुक्त पाया जाता है तथा मेरिट के अनुसार भर्ती हेतु योग्य है तो ऐसी भर्ती हेतु ट्रायल होने की तिथि से एक माह में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन ले लिया जाना चाहिये। एक माह की ट्रायल की वैद्यता की गणना प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजे जाने पूर्व, ट्रायल तिथि से उस रेलवे के सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने से हैं। (RBE 12/12)

8.1.10 प्रतिभावान खिलाड़ी या रेलवे बोर्ड/RSPB से प्रतिभावान खिलाड़ी कोटे में नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त होने के तीन माह के भीतर–भीतर नियुक्ति सम्बन्धी सभी औपचारिकतायें पूर्ण हो जानी चाहिये। (RBE 121/11)

8.1.11 प्रतिभावान खिलाड़ी भर्ती के क्रम में ली गई ट्रायल की रिपार्ट ट्रायल कमेटी द्वारा ट्रायल की तिथि के पश्चात तीन कार्य दिवसों के भीतर मण्डल /मुख्यालय स्पोर्टस् एसोसिएशन के अध्यक्ष को प्रस्तुत हो जानी चाहिये।

निर्धारित अवधि में अगर यह रिपार्ट प्रस्तुत नहीं की जाती हैं तो इसकी जिम्मेदारी निर्धारित करते हुये उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही रिपोर्ट के साथ बोर्ड को निर्धारित समयावधि में छूट हेतु मामला अग्रेषित होना चाहिये। (RBE 38/12)

8.2 खुला विज्ञापन

8.2.1 खुल विज्ञापन के मार्फत् खिलाड़ियों की भर्ती सम्बन्धित रेल प्रशासन द्वारा की जायेगी।

8.2.3 इस सम्बन्ध में विज्ञापन 30 जून तक जारी कर दिया जाना चाहिये व भर्ती की प्रक्रिया वर्ष के 31 अक्टूबर तक पूर्ण कर ली जानी चाहिये। हालांकि इस सम्बन्ध में श्रेत्रिय महाप्रबन्धकों को यह शक्तियाँ प्रदान की गई हैं कि अधिकतम तीन माह तक इस अवधि को बढ़ाया जा सकता हैं अर्थात् 30 सितम्बर तक विज्ञापन व 31 जनवरी तक प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिये। (RBE 116/11)

8.2.4 एक भर्ती समिति गठित की जायेगी जो कि भर्ती प्रक्रिया को देखेंगी। (RBE 126/13)

टिप्पणी : खुले विज्ञापन भर्ती कोटे को प्रतिभावान खिलाड़ी कोटे में तब्दील नहीं किया जायेगा।

[RB L.No.: 2010/E(Sports)/4/(1)/1Policy dt. 11.03.2011 (NWR PS 19A/2011)]

8.3 भर्ती समिति :

8.3.1 तीन सदस्यीय भर्ती समिति का गठन मण्डल स्तर पर मण्डल रेल प्रबन्धक व मुख्यालय पर महाप्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

8.3.2 मुख्यालय स्तर पर भर्ती समिति सभी तीनों सदस्य वरिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान स्तर के अधिकारी होगें ये सदस्य होगें:–

i कार्मिक अधिकारी (SAG)

ii खेलकूद एसोसिएशन का अध्यक्ष /सचिव (SAG) तथा

iii आहरित सदस्य (Co-opted member) (SAG)

8.3.3 मण्डल स्तर पर :

भर्ती समिति के सदस्य कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान /वरिष्ठ वेतनमान स्तर के अधिकारी होगें, ये सदस्य होगें:–

i. कार्मिक अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान /वरिष्ठ वेतनमान)

ii. मण्डल खेलकूद एसोसिएशन का अध्यक्ष /सचिव (कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान /वरिष्ठ वेतनमान)

iii. मण्डल से आहरित अधिकारी (Co-opted) (कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान /वरिष्ठ वेतनमान)

8.3.4 भर्ती समिति द्वारा ट्रायल के आयोजन हेतु एक ट्रायल कमेटी का गठन किया जाता है।

8.3.5 भर्ती समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाता है और 60 अंकों में से खेलकूद उपलब्धियों, शैक्षणिक योग्यता व सामान्य विद्ववता हेतु अंक दिये जाते हैं।

8.3.6 उम्मीदवारों का साक्षात्कार ट्रायल के तुरन्त बाद उसी दिन अन्यथा अधिकतम अगले दिन तक अवश्य हो जाना चाहिये।

8.3.7 भर्ती समिति द्वारा ट्रायल कमेटी द्वारा उपयुक्त पाये गये उम्मीदवार को 40 अंकों में से दिये गये अंकों को जोड़ते हुये 100 में से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची बनाई जायेगी।

भर्ती समिति के तीनों सदस्यों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित सिफारिश मुख्यालय में महाप्रबन्धक व मण्डल में मण्डल रेल प्रबन्धक को अन्तिम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

टिप्पणीः नियुक्ति प्रस्ताव मेरिट के आधार पर ही दिये जायेगें।

8.4 फीस : खुले विज्ञापन के माध्यम से खिलाड़ियों की भर्ती के मामलों में प्रोसेसिंग फीस, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा समय–समय पर ली जाने वाली निर्धारित फीस के बराबर ही होगी।

8.5 खेलकूद कोटे में भर्ती व्यक्ति की परिविक्षा अवधिः

8.5.1 खेलकूद कोटे के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यार्थी का प्रोबेशन पीरियड 02 वर्ष होगा।

8.5.2 जहाँ उक्त पैरा 6.3 के अन्तर्गत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान करते हुये नियुक्ति प्रदान की गई है वहाँ उस खिलाड़ी का प्रोबेशन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं कर लेता है।

8.5.3 प्रोबेशन पीरियड़ के समाप्ति से पूर्व उस खिलाड़ी के प्रदर्शन का रेलवे /इकाई स्तर पर गठित तीन सदस्यी कमेटी द्वारा विश्लेषण किया जायेगा। इस कमेटी में निम्न सदस्य होगेंः–

i क्षेत्रीय रेलवे /इकाई के खेलकूद एसोसिएशन का अध्यक्ष /अवैतनिक महा सचिव,

ii कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान /वरिष्ठ वेतनमान का कार्मिक अधिकारी, और

iii सम्बन्धित खेल का कप्तान /प्रशिक्षक

8.5.4 यदि खेलकूद लेखे में भर्ती किये गये व्यक्ति का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता हे तो प्रोबेशन पीरियड़ को अधिकतम दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है जिस दौरान उस खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन में सुधार लाना होगा ताकि उसकी नियुक्ति को स्थाई किया जा सकें। बढ़ाई गई अवधि में भी यदि उसका प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है तो सामान्य प्रक्रिया अपनाते हुये उसको पदच्युत करने की कार्यवाही, बढ़ाये गये प्रोबेशन अवधि के पूर्ण होने से पूर्व की जायेगी।

8.6 सर्विस बाॅण्ड :

खेलकूद कोटे में भर्ती किये गये खिलाड़ी को नियुक्ति प्रदान करते समय पाँच वर्ष का सर्विस बॉण्ड भरना होगा जिसे वह भरेगा तथा अपने हस्ताक्षर करेगा।

8.7 चिकित्सा परीक्षा :

प्रतिभावान एवं खुल विज्ञापन के माध्यम से भर्ती किये जाने वाले खिलाड़ियों के जिस पद पर नियुक्ति प्रदान की जा रही है उस पद की न्यूनतम चिकित्सा शर्तें पूर्ण करनी होगी।

8.8 यदि खेलकूद कोटे के अन्तर्गत भर्ती खिलाड़ी द्वारा दी गई सूचना व प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में से कोई गलत या किसी भी स्तर पर झूठा पाया जाता है तो उसकी सेवायें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये समाप्त कर दी जायेगी।

9. स्थानान्तरण : खेलकूद कोटे में भर्ती किये गये खिलाड़ियों के एक रेलवे /इकाई /मण्डल से अन्य रेलवे /इकाई /मण्डल पर स्थानान्तरण के मामलों में तभी विचार किया जायेगा जबः–

i. प्रोबेशन अवधि सहित रेलवे में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई हो। इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड द्वारा (RBE 75/2011) के अन्तर्गत स्पष्ट किया है कि खेलकूद कोटे के अन्तर्गत नियुक्त खिलाड़ियों का उसी रेलवे में एक मण्डल /इकाई से अन्य मण्डल /इकाई में स्थानान्तरण सम्बन्धी मामलें महाप्रबन्धक द्वारा निर्णित किये जायेगें।

ii. वह नियमित कर्मचारी हो।

iii. उपरोक्त निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुये रेलवे बोर्ड द्वारा यह विनिश्यत किया गया है कि स्पोर्टस् कोटा के अन्तर्गत नियुक्त खिलाड़ियों की अन्तर रेलवे स्थानान्तरण सम्बन्धी निर्णय महाप्रबन्धक द्वारा लिया जायेगा। (RBE 30/12)

विशेष मामलों में सक्षम प्राधिकारी [रेलवे बोर्ड (सदस्य कार्मिक)] के अनुमोदन से उपर्युक्त स्थितियों में छूट प्रदान की जा सकती है। (RBE 23/2011 & 75/2011)

9.1 रेल प्रशासन द्वारा विशेष वेतन वृद्धि केवल उन्हीं खेलकूद उपलब्धियों हेतु दी जायेगी जो पॉलिसी पत्र दिनांक 31.12.2010 [RBE 189 (B)/10] के पश्चात आयोजित प्रतियोगिताओं में प्राप्त की गई हैं।
(RBE 26/12, 50/13, 114/13, 53/14, 117/14)

वित्तीय वर्ष 2014–15 से तीन वर्ष प्रायोगिक तौर पर खेलकूद कोटे के अन्तर्गत होने वाली फिल्ड ट्रायल की विडियोंग्राफी की जायेगी। (RBE 19/14)

– परिविक्षा अवधि में खेलकूद आधार पर बिना बारी के पदोन्नति। (RBE 27/15)

स्काउट और गाईड कोटे के विरूद्ध भर्ती : (RBE 110/15)

पूर्व के निर्देशों के अतिक्रमण में रेलवे बोर्ड द्वारा स्काउट और गाईड कोटे के विरूद्ध भर्ती के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गईः–

1. भर्ती जोनल प्रशासनिक स्तर पर की जायेगी। इस हेतु प्रत्येक जोन, उसके अन्तर्गत आने वाले मण्डलों /उत्पादन इकाईयों हेतु निर्धारित कोटे के पदों को सम्मिलित कर भर्ती करेगा।

2. भर्ती सिर्फ तृतीय श्रेणी (PB-1 Rs. 5200-20200 having GP 1900 & 1800) में ही की जायेगी। इस हेतु शैक्षणिक योग्यता व आयु सीमा वहीं होगी जो क्रमशः तृतीय श्रेणी व पूर्ववृति चतुर्थ श्रेणी हेतु निर्धारित हैं। परीक्षा शुल्क सौ रूपये होगा लेकिन यह अ.जा. /अ.ज.जा. तथा आर.बी.ई. 175/10 में उल्लेखित अभ्यार्थियों से नहीं लिया जायेगा।

3. वार्षिक भर्ती कोटा निम्नानुसार होगाः–

ग्रेड पे 1900	02 प्रत्येक रेलवे प्रतिवर्ष
	01 प्रत्येक उत्पादन इकाई प्रति वर्ष
ग्रेड पे 1800	02 प्रत्येक मण्डल /उत्पादन इकाई प्रतिवर्ष

(नोटः– उत्तर रेलवे ग्रेड पे 1900 में 01 प्रति वर्ष तथा ग्रेड पे 1800 में 02 प्रति वर्ष अतिरिक्त भर्ती करेगा जिन्हें की RDSO में नियुक्त किया जायेगा।)

4. स्काउट /गाईड कोटे के अन्तर्गत भर्ती सम्बन्धी शक्तियाँ महाप्रबन्धक में निहित होगी। वेतन बैण्ड 5200–20200 में ग्रेड पे 1900 व 1800 हेतु आवेदन अलग–अलग माँगे जायेगें तथा चयन भी अलग–अलग होगा।

5. ग्रेड पे 1900 के चयन हेतु समिति में तीन SAG अधिकारी होगें तथा ग्रेड पे 1800 के चयन हेतु समिति में तीन JAG अधिकारी होगें जिनका नामांकन महाप्रबन्धक द्वारा किया जायेगा। तीन सदस्यों में से एक अधिकारी कार्मिक विभाग से होगा।

6. स्काउटिंग दक्षता निर्धारण कमेटी भी महाप्रबन्धक द्वारा नामित होगी। जिसमें एक Advance Leader Trainer /Leader Trainer तथा एक HWB होगा।

7. स्काउट /गाईड कोटे के अन्तर्गत चयनीत व लिपिक संवर्ग में नियुक्त अभ्यार्थी को नियुक्ति के दो वर्ष की भीतर–भीतर टाईपिंग दक्षता (Proficiency in Typing) प्राप्त करनी होगी। निर्धारित अवधि पश्चात इस हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यार्थी की सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

सांस्कृति कोटे के विरूद्ध भती : (RBE 201/03)

सांस्कृति कोटे के विरूद्ध वार्षिक भर्ती 02 प्रति वर्ष प्रति रेलवे तथा 02 प्रति वर्ष प्रति उत्पादन इकाई के अनुसार की जायेगी।

नोट : वे व्यक्ति जिन्हें इस कोटे के अन्तर्गत लिपिक /वरिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया है उन्हें दो वर्ष की अविध में टंकण में प्रवीणता प्राप्त करना आवश्यक है। (RBE 37/99)

सांस्कृतिक कोटे से भर्ती के सम्बन्ध में निर्देश :

1 रेल प्रशासन द्वारा इस कोटे के अन्तर्गत भर्ती खुले विज्ञापन के माध्यम से की जानी चाहिये।

2 इस कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता वही होगी जो क्रमशः समूह ''ग'' और पूर्ववृति समूह ''घ'' श्रेणियों की भर्ती हेतु लागू होती है।

3 भर्ती समूह ''ग'' के आरम्भिक ग्रेडों में की जायेगी। उच्च वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा।

4 आबंटित कोटा वित्तीय वर्ष के लिये होगा और काम में नहीं लिया गया कोटा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खत्म /बीत जायेगा।

5 भर्ती की अन्य शर्तें वही होगी जो अन्य समतुल्य श्रेणियों की भर्ती पर लागू हैं।

6 सांस्कृतिक कोटे में नियुक्ति विज्ञापन के सन्दर्भ में आवेदन करने वाले SC /ST /OBC कोटि के अभ्यार्थियों को यह छूट देय होगी जो सामान्य खुले बाजार भर्ती के अन्तर्गत देय हैं तथा ऐसी छूट के साथ चयनित अभ्यार्थी को आरक्षित रोस्टर पोइण्ट /पद के विरूद्ध रखा जायेगा। (RBE 127/11))

7 सांस्कृतिक कोटा हेतु चयन समितिः
समूह ''ग'' हेतु : 3 JAG अधिकारी जिनमें से एक कार्मिक विभाग से, दूसरा किसी अन्य विभाग से तथा तीसरा सम्बन्धित क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा वाला बाहरी सदस्य या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /सांस्कृतिक संस्थान का आचार्य या दूरदर्शन /आकाशवाणी इत्यादि का प्रतिनिधि।

8 सांस्कृतिक कोटे के तहत ओपन मार्केट से भर्ती करने के लिये व्यावहारिक प्रदर्शन के आधार पर सम्बन्धित क्षेत्र में प्रतिभा के आंकलन के लिये प्रयोगात्मक आधार पर तीन वित्त वर्ष यथा 2013–14, 2014–15, 2015–16 वीडियोग्राफी की प्रणाली शुरू की गई। (RBE 124/13)

अन्य योग्यतायें :

आवश्यक : सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री/डिप्लोमा/नाटक/नृत्य/संगीत में प्रमाण–पत्र प्राप्त हो।

वाच्छनीय :

1. क्षेत्र में अनुभव और आकाशवाणी /दूरदर्शन इत्यादि पर दी गई प्रस्तुति।

2. राष्ट्रीय स्तर पर जीते गये पुरस्कार।

समूह ''घ'' पदों पर नियुक्ति : (RBE 121/05, 164/06, 37/07)

समूह ''घ'' के सभी पदों पर नियुक्ति सीधी क्षेत्रीय रेलों द्वारा की जायेगी। इस कार्य के संचालन हेतु मुख्यालय में एक भर्ती सेल स्थापित की जानी चाहिये। इस सेल का चेयरमेन कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान या चयनित वेतनमान का उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (भर्ती) होना चाहिये। बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के लिये महाप्रबन्धक उप मुख्य कार्मिक अधिकारी /मु.का.अ. (भर्ती) को शक्तियाँ प्रदान कर सकता है।

भर्ती इकाई :

भर्ती की इकाई क्षेत्रीय रेलवे होगा। क्षेत्रीय रेलवे के कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले मण्डलों /कार्यशालाओं /उत्पादन इकाई और अन्य संगठनों की आवश्यकता को भर्ती के उद्देश्य हेतु एक /संगठित कर दिया जायेगा।

भर्ती करने का समय :

पूर्व ग्रुप ''डी'' व अब ग्रेड पे 1800/– के पदों के भर्ती समय (Periodicity of rectt.) में संशोधन किया गया हैं तथा अब यह वार्षिक आधार (अब द्विवार्षिक आधार पर RBE 103/14, 138/14) पर निम्न समय कार्यक्रम के अनुसार होगीः–

S.No.	Item	Month
1	Issue of Notification	July
2	Last date of receipt of appliction	30th September
3	Secutiny of appliction	January / Februaryb.
4	Issue of call letter for Written Test	March / April
5	Written Test	May /June
6	(PET) Physical Efficiency Test	September / October
7	Medical Test /Document Verification	November / December
8	Declaration of Final Panel	December

यह कार्यक्रम जुलाई 2012 से प्रभावी होगा तथा वर्ष के दौरान हुई रिक्तियों को इसमें लिया जायेगा।

(RBE 164/11, 76/12 & 06/14)

रेलवे बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि जुलाई 2015 से आर.आर.सी. द्वारा खुले बाजार से ग्रेड पे 1800 में भर्ती नोटिफिकेशन दो वर्ष में एक बार जारी किया जायेगा हालांकि आर.बी.ई. 164 /11 में दिये गये शिड्यूल की पालना की जायेगी। (RBE 103/14)

शुल्क : आर.आर.सी. द्वारा खुले बाजार से ग्रेड पे 1800 में भर्ती हेतु शुल्क 100/– प्रति अभ्यार्थी रहेगा।

[RB L.No.: E (NG) II/2009/RR-1/10/Pt dt. 20.07.2013 (P.No. 232 of RBO 2013)]

पात्रता हेतु मानदण्ड :

रेलवे में समूह ''घ'' के सभी पदों पर भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होगी। भर्ती हेतु आयु सीमा रेल मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी विशेष आदेशों के अन्तर्गत विशेष श्रेणियों को देय छूट के साथ लागू निर्देशों के अनुरूप रहेगी।

रोजगार सूचना :

मुख्य स्थानीय समाचार पत्रों में एक विस्तृत रोजगार सूचना प्रकाशित की जायेगी और रोजगार समाचार और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में एक सांकेतिक सूचना प्रकाशित की जायेगी जिसे स्थानीय समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापन पर वरीयता दी जायेगी। एक विस्तृत रिक्ति सूचना नजदीकी रोजगार केन्द्र, अ.जा. /अ.ज.जा. के मान्यता प्राप्त संगठन, उस क्षेत्र के MLA's /MP's, रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास निर्देशालय, भूतपूर्व सैनिकों हेतु राज्य और जिला सैनिक बोर्डों को भेजी जायेगी तथा सूचना की प्रति भर्ती क्षेत्र में स्थित रेलवे कार्यालयों के बाहर नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जायेगी। स्थानीय दैनिक समाचारपत्रों में क विस्तृत सूचना विज्ञापित की जायेगी जिसमें निम्न विवरण दिया जायेगा।:–

भर्ती इकाई, आरक्षण विवरण सहित पद का नाम और संख्या, योग्यतायें, आयु सीमा, छूट प्रावधानों सहित, वेतनमान, मण्डल /कार्यशाला /उत्पादन इकाई अन्य संगठन जिसके लिये भर्ती की जा रही है, परीक्षा शुल्क, आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन सौपने की अन्तिम तिथि, प्रश्न पत्र हेतु भाषा का चयन (हिन्दी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा) राजभाषा जैसा कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित है। प्रश्न–पत्र उसके अनुसार तैयार किया जायेगा। (खुले बाजार से पे बेण्ड–1 ग्रेड 5200–20200 (ग्रेड पे 1800) में नियुक्ति सम्बन्धी प्रश्न–पत्र हेतु उर्दू को भी अतिरिक्त भाषा के रूप में जोड़ा गया हैं। (RBE 37/11), शारीरिक सक्षमता परीक्षा मानक, अन्य कोई सम्बन्धित सूचना।

आवेदन का तरीका :

अभ्यार्थी सादे कागज पर रोजगार सूचना में बताये गये फार्मेट अनुसार सीधे उप मुख्य कार्मिक अधिकारी /मुख्य कार्मिक अधिकारी (भर्ती) को आवेदन करेगें। प्रति अभ्यार्थी 40 रू फीस ली जा सकती है हालांकि, अ.जा. /अ. ज.जा./भूतपूर्व सैनिक /विकलांग /महिला श्रेणियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

रेलवे में समूह ''घ'' पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया में अब एक शारीरिक सक्षमता परीक्षा (PET) के बाद उसमें सफल पाये गये अभ्यर्थियों की एक लिखित परीक्षा होगी, लेकिन इसमें आंशिक संशोधन कर यह निर्धारित किया गया है कि लिखित परीक्षा पश्चात केवल उन अभ्यार्थी की होगी जो लिखित परीक्षा में योग्य पाये गये हैं। (RBE 16/11)

i. शारीरिक सक्षमता परीक्षा की प्रकृति पात्रता प्राप्त करने की होगी और इसके लिये मानदण्ड निम्नानुसार होगें:– (RBE 37/07, 126/12 & 06/14)

   पुरूष अभ्यार्थी: 1000 मीटर की दूरी 4 मीनट व 15 सैकण्ड में एक ही अवसर में दौड़ने में सक्षम हो चाहिये।

   महिला अभ्यर्थी: 400 मीटर की दूरी 3 मीनट व 10 सैकण्ड में एक ही अवसर में दौड़ने में सक्षम हो चाहिये।

ii. विकलांगों हेतु चिन्हित पदो के विरूद्ध सम्मिलित होने वाले विकलांग अभ्यार्थियों को ग्रुप डी में भर्ती हेतु छूट होगी तथा वे सीधे ही लिखित परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें [RB L.E(NG)11/06/RC-2/11dt. 20.07.10]

iii. भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदो के विरूद्ध सम्मिलित होने वाले योग्य अभ्यार्थियों हेतु ग्रुप ''डी'' में भर्ती हेतु P.E.T. व लिखित परीक्षा से छूट होगी। (RBE 130/10)

iv. P.E.T. की पूरी प्रक्रिया का फिल्मांकन किया जाना चाहिये ताकि में भाग लेने वाले मूल अभ्यर्थियों की पहचान और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकें।

v. P.E.T. सम्बन्धित रेलवे के मण्डलों पर आयोजित की आयेगी और इस आयोजन का समग्र प्रभारी मण्डल रेल प्रबन्धक होगा।

vi. लिखित परीक्षा पश्चात दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाये जाने वाले सफल अभ्यार्थी कुल रिक्तियों की संख्या से 20% अधिक होगें। (RBE 73/08)

vii. पैनल लिखित परीक्षा में प्राप्त मैरिट स्थिति पर आधारित होगें। प्रकाशन की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक पैनल वैद्य (Valid) रहेगा। प्रशासकीय आवश्यकताओं की स्थिति में महाप्रबन्धक पैनल को एक वर्ष तक बढ़ा सकता है।

viii वेतन बैंड 5200–20200 के ग्रेड पे 1800 (पूर्ववृति ग्रुप डी) में नियुक्ति हेतु न्युनतम शैक्षिणिक योग्यता X या ITI या समकक्षा होगी तथा इस हेतु लिखित परीक्षा सभी जोनल रेलवे पर एक ही दिन होगी तथा P.E.T. भी सभी रेलवे पर एक ही अवधि में होगें। [RB LNo. E(NG)11/2009/RR-1/10/Pt. 09.12.10]

यह निर्देश 01.04.11 से लागू होगें तथा 03.03.11 तक (जिसे बढ़ाकर 31.07.2001 कर दिया गया है) तक के ऐसे विचाराधीन मामले जहाँ अभ्यार्थी 10वीं से कम शैक्षणिक योग्यता का है, वह रेलवे बोर्ड के पूर्व में पत्र दिनांक 09.12.10 द्वाराजारी निर्देशों के अनुरूप ही निर्धारित होगें।
[RB LNo. E(NG)11/2009/RR-1/10/Pt. 05.01.2011 & 27.04.20110]

ix. रिक्तियों की संख्या से दो गुणा अभ्यार्थियों को PET हेतु बुलाया जायेगा। (RBE 138/14)

अ. दिनांक 25.05.2009 से प्रभावी आदेश के अन्तर्गत रेलवे बोर्ड ने समूह ''ग'' और समूह ''घ'' पदों हेतु RRB/RRC द्वारा चयनित पैनल पर रखे अभ्यर्थियों के चिकित्सकीय परीक्षण में असफल होने पर वैकल्पिक नियुक्ति प्रदान करने की नीति को समाप्त करने का निश्चय किया है। (RBE 90/2009)

ब. चूँकि पोस्ट विभाग द्वारा UPC सेवा को बन्द कर दिया गया हैं, अतः नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत भेजे जाने वाले लिखित परीक्षा बुलावा पत्र, शारीरिक दक्षता परीक्षा पत्र आदि परीक्षा तिथि से कम से कम तीन हफ्ते पूर्व Business Post के अन्तर्गत प्रेषित किये जायेगें। (RBE 53/13, 85/13 & 06/14)

कार्यशाला /यातायात और वाणिज्य विभाग में आरम्भिक ग्रेड में समूह ''घ'' की रिक्तियों को निम्नानुसार भरा जाता हैः–

i. 10% पद ट्रेकमेन /स्टोर खलासी और सभी विभागों के सफाईवालों में से 50% वरिष्ठता के साथ। स्टोर खलासी, सफाईवाला हेतु ऊपरी आयु सीमा 38 वर्ष तथा ट्रेकमेन हेतु 38 वर्ष। (RBE 136/07, 86/12 & 121/13)

ii. 40% पद अन्य विभागों में से तलीय वरीयता /वरिष्ठता पर, 40% रिक्तियों के विरूद्ध आरक्षण नियम लागू नहीं होगें। सभी श्रेणियों के लिये आयु सीमा 33 वर्ष होगी, गैंगमेन हेतु आयु सीमा 33 वर्ष है।
(RBE 42/02, 86/12 & 121/13)

सफाईवाला की भर्ती किसी विशेष समुदाय तक सीमित रखने का कोई प्रावधान नहीं है समूह घ पदों पर भर्ती IREM के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है अनुकम्पा के आधार पर, खेलकूद कोटा और सांस्कृतिक कोटा में भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान नियमानुसार जारी रहेगी। [RB LNo.99E(RRB)25/11dt.27.11.01]

प्रशिक्षण कुछ आधार भूत तथ्य : एक कार्य संगठन में प्रशिक्षण सीखने की प्रक्रिया है जिसमें एक योजनाबद्ध तरीके से सीखने के अवसर पैदा किये जाते हैं ताकि कर्मचारी का अपने कार्य के प्रभावी निष्पादन हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशन और दृष्टिकोण का विकास किया जा सके और इस प्रकार संगठन के उद्देयों को उपलब्ध Most cost effective measnes द्वारा प्राप्त कर सकें। एक व्यक्ति के लिये कर्त्तव्यों के उचित निर्वाहन हेतु ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण तथा व्यवहार के तरीकों का योजनाबद्ध विकास आवश्यक है। प्रशिक्षण एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कार्य को अलग तरह से करना या अलग–अलग कार्यों को अपने वर्तमान या भविष्य के कर्त्तव्यों के सन्दर्भ में करना सीखने में मदद करने हेतु तैयार की गई एक योजनाबद्ध गतिविधि है।

प्रशिक्षण गतिविधियाँ :

प्रशिक्षण गतिविधियों में शामिल है –कार्य स्थल पर प्रशिक्षण /ज्ञान देना डेस्क निर्देश /कार्य निष्पादन सहायता /खुली लर्निंग /कार्यशाला /सम्मेलन /प्रदर्शनी /भ्रमण आदि।

अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण :

प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के पास अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये स्वयं का क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल, सिस्टम टेक्नीकल ट्रेनिंग स्कूल और अन्य संस्थान होते हैं। प्रशिक्षण निम्नानुसार हो सकता हैः–

1.	आरम्भिक	व्यक्ति को कार्य पद दिये जाने से पूर्व
2.	पदोन्नति	जब एक कर्मचारी को उच्चतर ग्रेड /श्रेणी में पदोन्नत किया जाना है।
3.	पुनश्चर्या /रिफ्रेशर	एक विशेष अवधि बीत जाने के पश्चात कर्मचारी को अपने ज्ञान की पुनश्चर्या और अदयत करने की आवश्यकता हो सकती है।
4.	विशिष्टीकरण	कर्मचारियों की सीमित संख्या में इस हेतु बुक किया जाताहै, प्रशिक्षण पश्चात वे दूसरे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं।

जहाँ ऐसे प्रावधान हो, आरम्भिक प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य है जिसके बिना किसी की नियुक्ति हेतू स्वीकार नहीं किया जा सकता।

प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु अवसरों की संख्या :

1. प्रशिक्षण एक्ट 1961 के अन्तर्गत आने वालों के अलावा अन्य प्रशिक्षुओं /प्रशिक्षणार्थियों को बिना किसी वेतन या अन्य पारिश्रमिक के प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु दूसरा अवसर दिया जा सकता है।
2. प्रशिक्षु एक्ट 1961 के अन्तर्गत आने वालों के अलावा OBC श्रेणी के प्रशिक्षुओं /प्रशिक्षणार्थियों को बिना किसी वेतन या अन्य पारिश्रमिक के प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु दूसरा अवसर दिया जा सकता है।
3. प्रशिक्षु एक्ट 1961 के अन्तर्गत आने वालों के अलावा OBC श्रेणियों के प्रशिक्षुओं को दूसरा अवसर वेतन /पारिश्रमिक सहित तथा बिना किसी वेतन या अन्य पारिश्रमिक के तीसरा अवसर दिया जा सकता है।
   ये आदेश सीधी भर्ती वालों, बीच की श्रेणी के प्रशिक्षुओं / LDCE or GDCE के उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होगें। (RBE 96/2000)
4. पदोन्नति पाठ्यक्रमों हेतु कर्मचारियों को सरकारी खर्चे पर तीन अवसर देय होगें उसके पश्चात स्वयं के खर्चे पर उन्हें यह पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। (Para 227 of IREM-I)

जो कर्मचारी ट्रेन पासिंग /परिचालन कार्यों से जुड़े हुये नहीं हैं उन्हें 57 वर्ष की आयु के बाद प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है। (RBE 170/11)

जहाँ पर सेवा करार में सेवा की विशिष्ट न्युनतम अवधि दी गई है वहाँ ऐसी अवधि पूर्ण होने से पूर्व सेवा छोड़ने पर कर्मचारी को प्रशिक्षण की लागत वहन करनी होगी।

प्रशिक्षण हेतु उत्तीर्णांक : (RBE 113/04, 84/10)

प्रशिक्षण केन्द्रों में आरम्भिक, पदोन्नति, पुनश्चर्या या विशिष्टीकरण पाठ्यक्रम से गुजरने वाले प्रशिक्षणार्थियों हेतु उत्तीर्णांक निम्नानुसार हैः–

1. प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण के अंत में कारवाई जाने वाली परीक्षा में रनिंग कोटि सहित संरक्षा कोटि के कर्मचारियों हेतु उत्तीर्ण अंक 60% होगें तथा इसमें अ.जा. /अ.ज.जा. हेतु कोई छूट नहीं होगी अर्थात् कर्मचारी को 60% लिखित परीक्षा तथा 60% Practical /Viva से प्राप्त करने होगें। जहाँ परीक्षा सिर्फ लिखित या मौखिक या व्यवहारिक हो वहाँ कर्मचारी को उत्तीर्ण हेतु 60% अंक प्राप्त करने होगें तथा इस पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं होगा कि संरक्षा कोटि का कर्मचारी संरक्षा या गैर संरक्षा विषय परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हैं।
2. गैर संरक्षा कोटियों हेतु उत्तीर्ण अंक 50% होगें।
3. आरम्भिक और पदोन्नति पाठ्यक्रमों के प्रश्न–पत्रों में 40% अंक बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु और 60% अंक विवरणात्मक प्रश्नों हेतु रहेगें। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के प्रश्न–पत्र में 70 अंक बहुविकल्पकीय तथा 30% विवरणात्मक होगें।

प्रशिक्षणार्थियों हेतु मैस चार्जेज :

1. प्रशिक्षण हेतु लागत FA&CAO की सलाह पर क्षेत्रीय रेलवे द्वारा तय की जायेगी।
2. यदि प्रशिक्षण केन्द्र में रहने व खान–पान की सुविधा उपलब्ध हे तो कर्मचारी को आकस्मिक खर्चों हेतु दैनिक भत्ते का 20% ही देय हैं

भर्ती श्रेणियाँ और प्रतिशत : (RBE 161/09)

S. No	Category	Grade Pay		Quota for (in %age)			Remarks
				Direct Quota	Promotee Quota	Intermedia Talent	
1	ASM	PB-1	2800	60	40	-	
2	TFC APP. (SCNL /WMI /TI /SM)	PB-2	4200	15	75	10*	*10% Serving Graduate
3	GUARDS	PB-2	2800	25	60	15	
4	SNL	PB-2	4200	15	75	10	
5	TNC	PB-2	1900	50	$33^{1/3}$	$16^{2/3}$	Matriculate Gr.-D Employees with a minimum 2 yrs. Service in the concerned seniority unit an the selection against this quota may be entirely completitive. (Procedure for test list in RBE 19/11, 41/14)
6	TC	PB-2	1900	50	$33^{1/3}$	$16^{2/3}$	
7	CLERK CUM TYPIST	PB-2	1900	50	$33^{1/3}$	$16^{2/3}$	
8	COMML. CLERK	PB-2	2000	50	$33^{1/3}$	$16^{2/3}$	
9	SR.CLERK	PB-1	2800	20	$66^{2/3}$	$13^{1/3}$	Serving Graduate
10	S&WLI	PB-2	4200	15	50	35	DR quota will be based on single stage exam (RRCB 02/11)
11	STENO	PB-1	2400	50	25* 25*		*25% from shorthand knwing clerk & typist. * 25% from other Gr.-C staff.
12	HINDI ASSTT.	PB-1	2400	$33^{1/3}$	$66^{2/3}$		
13	COMML. APP.	PB-2	4200	15	75	10*	*10% Serving Graduate
14	LA	PB-2	4600	40	60		
15	ECRC	PB-1	2800	25	75		
16	SR.COOK	PB-2	2400	$33^{1/3}$	$66^{2/3}$		
17	JE-II /MECH	PB-2	4200	50	25	25	
18	SE /MECH	PB-2	4600	20	80		
19	JE-II /C&W	PB-2	4200	50	25	25	
20	SE /C&W	PB-2	4600	20	80		
21	JE-II /WAY	PB-2	4200	$66^{2/3}$	$33^{1/3}$		
22	SE /WAY	PB-2	4600	20*	80		10% SR. DEG.
23	SE /WORKS	PB-2	4600	20*	80		10% SR. DEG.
24	JE-II /WORKS	PB-2	4200	60	25	15	
25	SE /SIGN.	PB-2	4600	20	80		
26	JE-II /TELE	PB-2	4200	50	30	20	
27	JE-II /SIGN	PB-2	4200	40	40	20	
28	SE /TELE	PB-2	4600	20	80		
29	ESM-III	PB-1	1900	50	50		
30	ESM-II	PB-1	2400	$33^{1/3}$	$66^{2/3}$		Ed.Qual. vide RBE 111/12
31	TCM-II	PB-1	2400	50	50		
32	TELE. OPTR.	PB-1	1900	40	60		
33	SE/ DRAWING	PB-2	4600	20	80		
34	JE /DRAWING	PB-2	4200	-	100		
35	DSKP	PB-2	4200	$33^{1/3}$	$66^{2/3}$		
36	SKILLED ARTISAN	PB-1	1900	25	50	25	
37	NURSES	PB-2	4600	100	-		
38	PHARMACIST	PB-1	2800	100			
39	HI	PB-2	4200	75	25		
40	RADIOGRAPHER	PB-1	2800	50	50		
41	LAB. ASSTT.	PB-1	1900	50	50		For P.Q. Edu. Qualification modified vide RBE 161/11
42	CMA	PB-2	4200	$66^{2/3}$	$33^{1/3}$		
43	JE-II /ELECT	PB-2	4200	50	25	25	
44	SE /ELECT	PB-2	4600	20	80		
45	ENT TEACHER	PB-2	4600	100			
46	EDP	PB-1	2800	100			